स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 (क) के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

F. No. NCST-17011(MH)/56/2021-RU-III (ESDW)

छठा तल , लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-03
दिनांक: 25.10.2021

सेवा में,

आयुक्त,
कल्याण – डोंबिवली महानगर पालिका
भोइरवाड़ी कल्याण
जिला – ठाणे, महाराष्ट्र - 421301
ई मेल - commissionerkdmc@gmail.com

विषय: महाराष्ट्र राज्य की कल्याण – डोंबिवली महानगर पालिका के क्षेत्राधिकार मे वार्ड क्रमांक 24, म्हसोबा मैदान (कोंकण वसाहत), चिकणघर, कल्याण (पश्चिम), महाराष्ट्र के कातकरी जनजाति के बस्ती मे स्वतंत्र शौचालय निर्माण के विषय मे श्री राहुल देठे, प्रभारी – आदिवासी मोर्चा प्रकोष्ट, कल्याण (पश्चिम) के अभ्यावेदन पर आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक की अध्यक्षता में दिनांक 06.10.2021 को 03:30 बजे आयोग में हुई बैठक का कार्यवृत.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 06.10.2021 को 03:30 बजे आयोग में हुई बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करें. उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है. आपसे अनुरोध है की बैठक में लिया गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को 30 दिन के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें.

संलग्न यथोपरि.

5245-46
25/10/21

भवदीय,

(आर. के. दुबे)
उपनिदेशक
दूरभाष: 011-24601346
ई-मेल: assttdir@ncst.nic.in

जारी किया
ISSUED

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. श्री राहुल देठे, प्रभारी – आदिवासी मोर्चा प्रकोष्ट, भारतीय जनता पार्टी, 5 (ब),/जी – 3, लॉर्ड शिवा पराडाईज़, बिरला कॉलेज रोड, कल्याण (पश्चिम), जिला – ठाणे – 521301

O/C

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- 17011 (MH)/56/2021-(RU-IV)ESDW)

महाराष्ट्र राज्य की कल्याण डोंबिवली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में - वार्ड क्रमांक 24, महसोबा मैदान (कोंकण वसाहत), चिकणघर, कल्याण (पश्चिम), महाराष्ट्र के कातकरी जनजाति के बस्ती में स्वतंत्र शौचालय निर्माण के विषय में श्री राहुल देठे, प्रभारी- आदिवासी मोर्चा प्रकोष्ठ, कल्याण (पश्चिम) के अभ्यावेदन पर आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक की अध्यक्षता में दिनांक 06.10.2021, 3.30 बजे आयोग में हुई सीटिंग का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 06/10/2021, 03.30 बजे (अपराह्न)

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

- प्रकरण में आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के आदेशानुसार दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को आयुक्त, कल्याण डोंबिवली नगर निगम, कल्याण (पश्चिम) को समन जारी किया गया था। इसके अनुपालन में आयुक्त, कल्याण डोंबिवली नगर निगम, कल्याण (पश्चिम) दिनांक 06.10.2021, 3.30 बजे आयोग में उपस्थित हुए।
- सीटिंग शुरू होने से पहले आयोग के समक्ष संबंधित भागीदारीगणों का परिचय हुआ तत्पश्चात आयोग ने पहले अभ्यावेदक से उसका पक्ष जानना चाहा।
- अभ्यावेदक श्री राहुल देठे (ऑनलाइन) ने आयोग को अवगत कराया कि कल्याण डोंबिवली नगर निगम के वार्ड 24 के अंतर्गत आने वाले कातकरी पाड़ा में 150 आदिवासी परिवारों के लोग लगभग 40 सालों से रह रहे हैं जिनके लिए पृथक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जिससे विशेषतः आदिवासी महिलाओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है कई बार तो उनका शोषण भी किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को शौचालयों के अभाव में उत्पीड़ना भी सहन करनी पड़ती है। इस संबंध में उनके द्वारा स्थानीय अधिकारियों (निगम और प्रशासन) को कई बार अवगत कराया जा चुका है किंतु प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
- सुनवाई के दौरान माननीय सदस्य द्वारा पूछने पर आयुक्त, कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने आयोग को अवगत कराया कि उक्त कातकरी पाड़ा में रहनेवाले कथित आदिवासी परिवारों की रिहाइस जगह/क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और पाया गया है

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कि उक्त स्थान महाराष्ट्र हाऊसिंग अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) को आवंटित है। यदि महाराष्ट्र हाऊसिंग अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) द्वारा नगर निगम को अनापत्ति (एनओसी) दी जाती है तो कल्याण डोंबिवली द्वारा उक्त जगह/क्षेत्र को आदिवासी परिवारों को आवंटित किया जा सकता है तथा वहां पर शौचालय का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में महाराष्ट्र हाऊसिंग अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) को एनओसी हेतु पत्र लिखा गया है किंतु महाराष्ट्र हाऊसिंग अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा (MHADA) उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। आयुक्त ने आयोग को बताया कि इस मामले में आयोग की ओर से महाराष्ट्र हाऊसिंग अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) तथा शहरी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए जाए कि कातकरी आदिवासी परिवारों को उनके रिहाइसी स्थान को आवंटित करने हेतु कल्याण डोंबिवली नगर निगम को एनओसी प्रदान की जाए ताकि शौचालयों का निर्माण संभव हो सके। आयोग ने स्थानीय आदिवासियों के मुलभूत अधिकारों की अनदेखी को गंभीरता से लिया है।

- दोनो पक्षों को सुनने के बाद आयोग सिफारिश करता है कि -
  - जहां पर कातकारी आदिवासी परिवार विगत 40 वर्षों से निववासरत हैं, वहीं पर उन्हें राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत भूमि का पट्टा आवंटित करके शहरी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार एवं कल्याण-डोंबिवली नगर निगम द्वारा उनके कब्जे को नियमित किया जाए।
  - कातकरी आदिवासी परिवारों को उक्त स्थान पर ही कल्याण-डोंबिवली नगर निगम द्वारा निःशुल्क शौचालय बनवा कर दिए जाएं।
  - कल्याण डोंबिवली नगर निगम द्वारा इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर महाराष्ट्र हाऊसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) से अनापत्ति प्राप्त की जाए और महाराष्ट्र हाऊसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) शीघ्र अनापत्ति प्रदान करे।
  - कल्याण डोंबिवली नगर निगम द्वारा मामले के निष्पादन के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
  - आयोग के समक्ष उपस्थित प्राधिकारी ने क्षेत्र में शौचालय की कमी के कारण मुख्य रूप से गर्भवती महिलाएं, वरिष्ठ नागरिकों, लड़कियों तथा बच्चों के खुले में शौच जाने के तथ्य को स्वीकार किया।

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
...जनजाति आयोग
...SCHEDULED TRIBES

- प्राधिकारी को स्वच्छ भारत मिशन और मनुष्य की मुलभूत अधिकार तथा स्थानीय आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की जानकारी है।
- उनके द्वारा निवेदन किया गया कि स्थानीय प्रशासन तथा महाराष्ट्र हाऊसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) के बीच जटिलताओं के कारण स्थानीय आदिवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्द कराने में देरी हो रही है।
- राज्य प्रशासन के द्वारा स्थानीय आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों तथा मुलभूत जरूरतों की अनदेखी तथा नकारात्मकता को आयोग ने गंभीरता से लिया।
- स्थानीय प्रशासन के अकर्मण्यता तथा नकारात्मकता व उनके द्वारा 24 परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाने की स्थिति के कारण आयुक्त द्वारा 30 दिन की समयावधि में सभी प्रभावित आदिवासी परिवारों को 1,000 रूपये की राशि प्रदान किए जाने तथा युद्वस्तर पर सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने की अनुशंसा करता है।

आयोग को एक माह के अंदर कार्रवाई के अनुपालन रिपोर्ट से अवगत कराया जाए।

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

(F. No.- 17011 (MH)/56/2021-(RU-IV)ESDW)

महाराष्ट्र राज्य की कल्याण डोंबिवली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में - वार्ड क्रमांक 24, महसोबा मैदान (कोंकण वसाहत), चिकणघर, कल्याण (पश्चिम), महाराष्ट्र के कातकरी जनजाति के बस्ती में स्वतंत्र शौचालय निर्माण के विषय में श्री राहुल देठे, प्रभारी- आदिवासी मोर्चा प्रकोष्ठ, कल्याण (पश्चिम) का अभ्यावेदन पर आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक की अध्यक्षता में दिनांक 06.10.2021, 3.30 बजे आयोग में हुई सीटिंग की उपस्थिति।

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री अनंत नायक	माननीय सदस्य
2.	श्री राकेश कुमार दुबे	उपनिदेशक
3.	श्री हरिराम मीना	वरिष्ठ अन्वेषक
4.	श्री राधाकांत त्रिपाठी	विधिक सलाहकार

आयुक्त, कल्याण डोंबिवली नगर निगम, कल्याण, पश्चिम (महाराष्ट्र)

1.	डॉ विजय सुर्यवंशी	आयुक्त
2.	श्रीमती सपना कोली	सिटी इंजीनियर

अभ्यावेदक

1.	श्री राहुल देठे	अभ्यावेदक (ऑनलाइन)